न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08/2023 **दायर दिनांकः 13/02/2023**

उनवान

1. दुर्गाशंकर आयु 54 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति जाटव निवासी मोठपुर हाल निवासी गायत्रीनगर अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 18.12.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 514 का ख.नं. 174 का रकबा 1.25 हे०, ख.नं. 3232/66 का रकबा 0.65 हे०, ख.नं. 77 का रकबा 0.77 हे0, 77/2661 का रकबा 0.48 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.15 हेक्टर आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी को घर पर दुर्गा कहने के कारण प्रार्थी का नाम दुर्गालाल गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर है तथा प्रार्थी के पिता का नाम चतुर्भुज के स्थान पर चतरू गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम चतुर्भुज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर एवं प्रार्थी के पिता का नाम चतुर्भुज सही दर्ज है। [illegible] सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मोठपुर की आराजी खाता संख्या 514 में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल के स्थान पर सही नाम दुर्गाशंकर एवं प्रार्थी के पिता का नाम चतरू के स्थान पर सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

नाम चतुर्भुज दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर एवं प्रार्थी के पिता का सही नाम चतुर्भुज दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मोठपुर की आराजी खाता संख्या 514 में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल के स्थान पर सही नाम दुर्गाशंकर एवं प्रार्थी के पिता का नाम चतरू के स्थान पर सही नाम चतुर्भुज दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3533 दिनांक 25.11.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 514, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, बैक पास बुक बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक, ग्राम पंचायत मोठपुर रिपोर्ट व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 514 का ख.नं. 174 का रकबा 1.25 हे०, ख.नं. 3232/66 का रकबा 0.65 हे०, ख.नं. 77 का रकबा 0.77 हे0, 77/2661 का रकबा 0.48 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.15 हेक्टर आराजी में सहखातेदार दुर्गालाल के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र चतुर्भुज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 514 का ख.नं. 174 का रकबा 1.25 हे०, ख.नं. 3232/66 का रकबा 0.65 हे०, ख.नं. 77 का रकबा 0.77 हे0, 77/2661 का रकबा 0.48 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.15 हेक्टर आराजी में सहखातेदार दुर्गालाल पुत्र चतरू के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र चतुर्भुज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू व शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested